22.

महापौर की शक्तियॉ एवं कार्य
(ग्वालियर नगर निगम के विशेष संदर्भ में एवं समीक्षा)

सरिता त्रिपाठी

लोकतांत्रिक व्यवस्था में केन्द्रीय शासन, प्रादेशिक शासन और शासन व्यवस्था व्यवस्था है, नगरीय शासन व्यवस्था में उस शासन को नगरीय शासन या फिर कहे कि नगर निगम जो नगर की जनता के समन्वित विकास के लिये कार्य करने वाली व्यवस्था इसके लिये अति महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक शक्ति जनता में समाहित हो और यह तभी संभव होता है कि जब प्रशासनिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो तथा सामान्य जन में से ही मतदान व्यवस्था से चुनकर आने वाले प्रतिनिधि हो, उन्ही के द्वारा नगर पालिका निगम के द्वारा जन कार्य अच्छे प्रकार से किये जा सके। नगर पालिका निगम जैसी संस्थायें लोकतंत्र की नींव होती है। इसी लिये इन संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु नगरीय स्वशासन को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जिसे नगर पालिका निगम से जाना जाता है। जो जनता की परेशानियों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम करती है। इन संस्थाओं की व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तर पर निर्वाचित होकर निगम पार्षद एवं महापौर चुनकर आते हैं। जिनमें नगर निगम का एक महापौर होता है जो नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो नगर के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देता है। ग्वालियर नगर निगम में वर्ष 2004 से 2014 तक वर्ष 1956 में गठित नगर निगम में बीसवें महापौर के रूप में स्व. श्री पूरन सिंह पलैया, इक्कीसवें महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर और बाईसवीं महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता पदासीन रही तीनों ही महापौर राजनैतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। जिन्होनें वर्ष 2004 से 2014 तक नगर विकास को गति देने में अपना सम्पूर्ण योगदान दिया जिसकी वजह से ग्वालियर शहर राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है।

नगरीय स्वशासन को चलाने के लिये म.प्र. शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत महापौर को अनेक शक्तियॉ प्रदान की गई हैं जिनके अधीन रहकर नगर विकास के कार्यों का संचालन कर सकें। महापौर को प्रदत्त शक्तियों में मेयर इन कौंसिल तथा अपील समिति का गठन तथा अधिकारियों एवं सेवकों पर प्रशासनिक नियंत्रण शामिल है। इसी के साथ ही उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो समय समय पर विधान मण्डल अधिनियमित कर उसे देगा।

महापौर की अनुपस्थिति में मेयर इन कौंसिल का ऐसा सदस्य जो महापौर द्वारा नियुक्त किया जाये वह महामारी, नैसर्गिक या काल्पनिक विपत्ति की दशा में किसी भी ऐसे कार्य या किसी भी कृत्य के निष्पादन या रोके जाने के संबंध में निर्देश दे सकेगा जिसका कि तत्काल निष्पादन या रोका जाना इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

शहर के सुनियोजित और सुव्यवस्थित एवं नगर स्वशासन के सही ढंग से संचालन के लिये महापौर के अनेकानेक कृत्य करने होते हैं और महापौर के इन कृत्येां के सफलतम निर्वाह पर ही नगर का सुनियोजित संचालन होता है। महापौर तथा एक मेयर इन कौंसिल का गठन किया जावेगा। निर्वाचन की प्रक्रिया की तारीख से 7 दिवस के अंदर निर्वाचित पार्षदों में से मेयर इन कौंसिल का गठन होगा, नगर निगम में मेयर इन कौंसिल महापौर व कम से कम पांच सदस्य या अधिक 10 सदस्य ही इसमें शामिल हो सकेगें। महापौर की सहमति और संज्ञान से ही मेयर इन कौंसिल की उपस्थितियों का गठन किया जाता है। नगर निगम के संचालन हेतु ही महापौर के निर्देशन में ही एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता

है। जो समय समय पर सलाह देने का काम करती है। सलाहकार समिति में आठ नगर निगम में 60 पार्षद हैं तो 9 सदस्य और उससे कम हैं तो 07 सदस्य पार्षक्ति शामिल किये जाते हैं।

महापौर जॉच और रिपोर्ट के लिये मत के लिये नियुक्त समिति को उस समिति से कोई विषय प्रेषित कर सकेगा तथा निगम ऐसे मतों को निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के दो तिहाई से कम ना हो पारित विनिर्दिष्ट ठहराव द्वारा अपनी शक्तियों को संबंधित समितियों को किन्हीं भी शक्तियों तथा कर्तव्यों को सौंप सकेगा। महापौर के निर्देशन में ही कोई भी समिति अपने सदस्यों में से एक या अधिक उपसमितियाँ बना सकेगी। जिसमें सदस्यों की ऐसी संख्या होगी जैसा कि वह निश्चित करें।

ग्वालियर के चहुॅमुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुये महापौर को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर महापौर नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना पूर्ण योगदान देकर अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

संदर्भ सूची

- ग्वालियर नगर निगम एवं महापौर का पद एवं स्थिति तथा पार्षदों का सहयोग (एक राजनैतिक विश्लेषण विगत 10 वर्षों का) अध्याय चतुर्थ पृष्ठ संख्या 222, 223, 224, 225, 226, 227 से
- मदनलाल जिंदल मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम, अधिनियम (1956) (इंदौर राजकमल पब्लिकेशन (2010) 19
- मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 21.04. 1997
- म.प्र. अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित म.प्र. राज्य असाधारण 25.08.2003
- म.प्र. अधि. क्र. 20 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित म.प्र. राज्य असाधारण 29.09.1998
- आनंद प्रकाश अवस्थी म.प्र. में स्थानीय प्रशासन, भोपाल म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2006 पृ.क्र. 281
- पारसचन्द्र जैन, म.प्र. नगर पालिक अधिनियम एवं नियम, (इन्दौर : बाधवा एवं कम्पनी 2009) पृ.क्र. 37

❑❑❑